संख्या:3/2018/537/49-3-2018-100(9)/2012

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 29 मार्च, 2018

विषय- प्रीपोजीशनिंग योजना तथा सामान्य योजना की वर्ष 2016-17 के अवशेष ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 397/कृषि निवेश/बी-299टीसी, दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि **रू0 49,66,29,483.00** प्रीपोजीशनिंग योजना तथा सामान्य योजना की वर्ष 2016-17 के ब्याज मद में धनराशि **रू0 49,66,29,483.00 (रू0 उन्चास करोड़ छाछठ लाख उन्तिस हजार चार सौ तिरासी मात्र)** निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है ।

वर्ष 2016-17 में पी0सी0एफ0 से प्राप्त ब्याज की प्रतिपूर्ति का विवरण :--

(धनराशि रू0 में)

नाम परिवहन समिति	माह का नाम	ब्याज	योग
पी0सी0एफ0	जुलाई 2016	--	--
	अगस्त 2016	--	--
	सितम्बर2016	111568122	111568122
	अक्टूबर2016	106229274	106229274
	नवम्बर2016	85533326	85533326
	दिसम्बर2016	66054761	66054761
	जनवरी2017	51125183	51125183
	फरवरी2017	40988517	40988517
	मार्च2017	36882971	36882971
योग-		**498382154**	**498382154**

वित्तीय वर्ष 2016-17 का बैंकों के ब्याज की धनराशि रू0 49,83,82,154.00 में से रू0 49,66,29,483.00 का भुगतान किये जाने के पश्चात ब्याज की धनराशि रू0 17,52,671.00 अवशेष रहेगी।

--2/--

http://shasanadesh.up.nic.in

3- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

4- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या- 3/2017/ बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या-6/2017/730/49-3-2017-100(9)/2012, दिनांक 18-5-2017 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित की जाय।

6- धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णयों व शासनादेशों के अनुरूप है एवं व्यय के आगणन के सही, आगणन की शुद्धता तथा नियमानुसार होना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- देय धनराशि, धनराशि की देयता, उर्वरक की आपूर्ति की गयी मात्रा एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0,लखनऊ का होगा।

8- बैंकों से ब्याज का निगोशिएशन न्यूनतम दर पर प्राप्त किया गया है, इसे भी आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2018 तक उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 की देयता के भुगतान के समय किसी भी दशा में भुगतान की पुनरावृत्ति /व्ययावृत्ति नही की जायेगी।

11- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक **"2425-सहकारिता-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी "** के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-424/दस-2018, दिनांक: 29-3-2018 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मो0 जुनीद
विशेष सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या: 3/2018/537(1)/49-3-2018, तद्-दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in